राजस्व वाद संख्याः— 186 / 2023
(पुराना नम्बर 154 / 2012)
कन्हीराम आदि बनाम मोहरसिंह आदि
निर्णय दिनांकः— 01-09-2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर — 186 / 2023 GCMS No. 2023/697
(पुराने नम्बर 154 / 2012 जीसीएमएस नम्बर 2012 / 00102)

1. कन्हीराम पुत्र फुलाराम
2. महावीर पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र झण्डू जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द —— मृतक
   1 / 1. बिजेन्द्र पुत्र स्व. मोहर सिंह
   1 / 2. विक्रम पु. स्व. मोहर सिंह
   1 / 3. अजय पुत्र स्व. मोहर सिंह
   समस्त जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं
   1 / 4. रमेश पुत्री स्व. मोहर सिंह पत्नी पवन
   1 / 5. विनोद पुत्री स्व. मोहर सिंह पत्नी सुनील जाति मेघवाल निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. पारली पत्नी मनीराम
3. राजेन्द्र पुत्र मनीराम
4. टींकू पुत्र मनीराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. मगना पुत्री बुद्धराम जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द पत्नी बिहारीलाल हाल आबाद देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
6. बिमला पुत्री बुद्धराम जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 पत्नी किशोरीलाल हाल आबाद देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
7. सुशीला पुत्री बुद्धराम जाति मेघवाल निवासी ढाढोत खुर्द पत्नी गिरधारी हाल आबाद देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा— घोषणात्मक, रिकार्डदुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:26 IST
Reason: Self Attested

दिनांक :— 01-09-23

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही गांव ढाढोत खुर्द के एक ही परिवार के सदस्य हैं। जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 अनुसार खाता सं. 23 के खसरा नंबर 99 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

काश्तकार झण्डू पुत्र मोती कौम चामर कृषक मीजा खुद काश्त दर्ज राजस्व रिकार्ड है उसी अनुसार खसरा नंबर 97 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 79 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 94 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार काश्तकार खुर्द काश्त फूलिया पुत्र मोती 1/2, गोपाल पुत्र मोती चमार सा.देह मीजा उपकृषक–मीजा योग खाता–5 कुल रकबा 22 बीघा दर्ज है उसी अनुसार गत् जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 अनुसार खाता सं. 22 के ख.नं. 79 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 97 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 99 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 94 रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 5 रकबा दर्ज नहीं है जिसका 18.04 रूपये सालाना जिसका खातेदार झण्डिया पुत्र मोती दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके वादीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सहवन से फूला एवं गोपाल दर्ज नहीं हुआ। सैटलमेंट के बाद गत् खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर बने हैं। हाल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 अनुसार खाता सं. 90 के ख.नं. 142 रकबा 0.20 है., ख.नं. 146 रकबा 0.66 है., ख.नं. 147 रकबा 0.08 है., ख.नं. 152 रकबा 2.16 है., ख.नं. 155 रकबा 0.56 है., ख.नं. 156 रकबा 1.69 है., ख.नं. 160 रकबा 0.15 है. कुल किता 7 कुल रकबा 5.50 है. के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं.1 है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 लगा. 7 उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा स्व. मोती के वारिशान हैं। संवत् 2018 से पूर्व की वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत पूर्वज गोपाल एवं फूला के खातेदारी दर्ज है जिसमें 2018 में खुद काश्त से दर्ज होने से यह भूमि कब्जे काश्त वादीगण एवं इनके पूर्वज 2018 से कब्जे काश्त चले आ रहे हैं एवं संवत् 2018 से 2021 अनुसार राजस्व रिकार्ड में खुर्द काश्त खातेदार दर्ज हैं लेकिन बाद में संवत् 2026 से 2029 में राजस्व कर्मचारियों की भूलवश वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 लगा. 7 का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादीगण को उक्त भूमि में खातेदारी हाल जमाबन्दी अनुसार दर्ज नहीं होने से भारी हकतलफी है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त तो है परन्तु राजस्व रिकार्ड केवल प्रतिवादी सं. 1 के नाम ही दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है वाके ग्राम ढाढोत खुर्द स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 90 के ख.नं. 142 रकबा 0.20 है., ख.नं. 146 रकबा 0.66 है., ख.नं. 147 रकबा 0.08 है., ख.नं. 152 रकबा 2.16 है., ख.नं. 155 रकबा 0.56 है., ख.नं. 156 रकबा 1.69 है. कुल किता 7 कुल रकबा 5.50 है. में वादीगण का हिस्सा 2/3 का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार रिकार्ड में अम[illegible] के आदेश देने की कृपा करें। उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त कर वादीगण के [illegible] हिस्सा 2/3 भाग का राजस्व रिकार्ड बनाया जाने के आदेश देने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादी द्वारा दर्ज तथ्य जमाबन्दी संवत् 2018 से 21 में ख. नं. 99 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 105 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार झण्डू पुत्र मोती कौम चमार कृषक खुद काश्त होना स्वीकार है। लेकिन ख.नं. 97, 79, 94 का कृषक भी स्वयं झण्डू राम ही था इससे पहले भी संवत् 2012 में उक्त भूमि का कृषक खुदकाश्त झण्डू पुत्र मोती ही था तथा संवत् 2022 से 2026 में भी कृषक झण्डूराम ही रहा है महज एक फसल काश्त करने से कोई व्यक्ति काश्तकार नहीं बन जाता इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान जब लागू हुए उस समय से पूर्व उक्त विवादित भूमि का काश्तकार झण्डू ही रहा है तथा धारा 19 की पालना के बाद बनी जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 में व बन्दोबस्त के बाद व पहले संवत् 2030 से 2034 में भी खातेदार झण्डू उर्फ झण्डिया ही रहा है ये तथ्य सही है धारा 19 की समीक्षा के समय उक्त विवादित भूमि पर झण्डू की ही खातेदारी थी वहीं सम्पूर्ण रकबे को काश्त करता था इस कारण जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 में केवल झण्डू का ही नाम दर्ज किया गया है जो सही व राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कोई भूल व गलती नहीं की है बल्कि विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है क्योंकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ना तो इस भूमि में काश्त करते थे और ना ही इस भूमि से उनका कोई लेना देना व सम्बंध सरोकार रहा है।

प्रतिवादीगण सं. 2 से 8 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल मिसल बन्दोबस्त, जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015, संवत् 2014–2017, संवत् 2018–21, जमाबन्दी (खेतवट खतौनी) संवत् 2022–2025, संवत् 2026–29, संवत् 2030–33, मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4), जमाबन्दी संवत् 2018–21 (प्रदर्श–1), संवत् 2026–29 (प्रदर्श–2 व 3), संवत् 2064–67 (प्रदर्श–5), जमाबन्दी संवत् 2068–71 पेश की गई तथा मौखिक साक्ष्य में बयान कन्हीराम पुत्र फूलाराम (पी.डब्ल्यू.–1), रामजीलाल पुत्र भागीरथ (पी.डब्ल्यू.–2), महावीर पुत्र गोपाल (पी.डब्ल्यू.–3) के कलमबद्ध किये गये हैं।

दावा दिनांक 04.4.2023 को निर्णय व डिक्री किया गया। उक्त निर्णय डिक्री के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी बाबत निर्णय व डिक्री के पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने पर बाद बहस सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर मूल वाद नम्बर 154 / 2012 जीसीएमएस नम्बर 2012 / 00102 पुनः नये नम्बर मुकदमा नम्बर 186 / 2023 GCMS No. 2023/697 पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओंर से कोई उपस्थित नही आया। इनके विरूद्ध एक पक्षीय [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन [illegible] किया गया। निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। अतः न्यायालय निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 को अपास्त कर पुनः संशोधित निर्णय पारित करना उचित पाता है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 142, 146, 147, 152, 155, 156, 160 कुल किता 7 कुल रकबा 5.50 है. में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 01-09-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:26 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

GCMS No. 2023/697

मुकदमा नम्बर – 186/2023

(पुराने नम्बर 154/2012 जीसीएमएस नम्बर 2012/00102)

कन्हीराम आदि **बनाम** मोहर सिंह आदि

दावा– घोषणात्मक, रिकार्डदुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक 01-09-23

वादीगण की ओर से श्री **रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं सभी प्रतिवादीगण की अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 01-09-23 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" **न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 142, 146, 147, 152, 155, 156, 160 कुल किता 7 कुल रकबा 5.50 है. में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01-09-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:26 IST
Reason: SelfAttested